राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 4100/2024

ओमप्रकाश मीणा –अपीलार्थी

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय, माध्यमिक शिक्षा, सवाईमाधोपुर।
4. प्रधानाचार्य, महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, कुस्तला, सवाईमाधोपुर।
5. कृतिक जैन, बेसिक कम्प्यूटर इंस्ट्रक्टर, महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, कुस्तला, चौथ का बरवाड़ा, सवाईमाधोपुर।

–**प्रत्यर्थीगण**

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 17.12.2024
आदेश की दिनांक :

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री गिरिराज राजोरिया, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री महिपाल खर्रा, अति. राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– विकास सीतारामजी भाले, अध्यक्ष
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की सुनवाई की गई।

2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में अध्यापक ग्रेड–IIII, लेवल–II, हिन्दी (कम्प्यूटर टिचर) के पद पर महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, कुस्तला, सवाईमाधोपुर में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 07.12.2024 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी को अधिशेष मानते हुए स्थानान्तरण/समायोजन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बिलोपा, ब्लॉक चौथ का बरवाड़ा, सवाईमाधोपुर में कर दिया गया। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में साक्षात्कार प्रक्रिया के माध्यम से नियुक्ति के लिए पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किये। अपीलार्थी ने भी साक्षात्कार में भाग लिया तथा अपीलार्थी का चयन महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, कुस्तला, चौथ का बरवाड़ा, सवाई माधोपुर में वॉक इन इंटरव्यू प्रक्रिया के माध्यम से कम्प्यूटर शिक्षक के रूप किया गया। जहां पर अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 28.07.2022 (अनुलग्नक–3) की अनुपालना में कार्यभार ग्रहण

कर लिया। निजी प्रत्यर्थी संख्या 5 का चयन दिनांक 12.04.2023 (अनुलग्नक–4) के द्वारा महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, कुस्तला, चौथ का बरवाड़ा, सवाईमाधोपुर में बिना महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय की प्रक्रिया का पालन किये बिना एवं दिशा–निर्देशों की प्रक्रिया का पालन किये बिना ही बेसिक कम्प्यूटर प्रशिक्षक के पद पर पदस्थापित किया गया है। जबकि महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय में बेसिक कम्प्यूटर प्रशिक्षक का कोई पद नहीं है, केवल कम्प्यूटर शिक्षक का ही पद स्वीकृत है। प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय के आदेश दिनांक 04.01.2023 एवं 15.01.2023 (अनुलग्नक–5) के द्वारा स्थानान्तरण पर पूर्णरूप से प्रतिबंध लगा रखा है। प्रत्यर्थी विभाग आदेश दिनांक 14.11.2024 (अनुलग्नक–2) के दिशा–निर्देशों के विपरीत जाकर अपीलार्थी का स्थानान्तरण किया है, जो विधि–विरूद्ध एवं मनमाना है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 07.12.2024 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे तथा उक्त आलोच्य आदेश की अनुपालना में अपीलार्थी को कार्यमुक्त न करें एवं अपीलार्थी को कम्प्यूटर शिक्षक के पद पर महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, कुस्तला, चौथ का बरवाड़ा, सवाईमाधोपुर में कार्य करने दिया जावें। वेतन एवं समस्त पारिणामिक लाभ प्रदान किये जावे।

3. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से राजकीय अधिवक्ता द्वारा दिनांक 07.01.2025 को जवाब प्रस्तुत कर अपील का पुरजोर विरोध करते हुए कथन किया है कि अपीलार्थी कार्मिक का मूल पद अध्यापक–लेवल–2 (हिन्दी) है, राज्य सरकार द्वारा पूर्व में महात्मा गांधी (अंग्रेजी माध्यम) विद्यालयों में कम्पूयटर शिक्षण हेतु अस्थाई व्यवस्था के तौर पर अध्यापक संवर्ग के कार्मिकों का वॉकइन इन्टरव्यू के माध्यम से चयन कर कम्पयूटर शिक्षक के पद पर पदस्थापित किया गया था तदुपरांत राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 23.01.2023 के द्वारा The Rajasthan Civil Services (Special Selection and Special Conditions of Service for Appointment of Personnel in the English Medium Schools Rule), 2023. नियम निर्धारित किये गये। उक्त नियमों के साथ संलग्न शिड्यूल–1 में महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय में कम्पूयटर शिक्षक अथवा कम्यूटर टीचर का कोई पद स्वीकृत नहीं किया गया अपितु उक्त नियमों के द्वारा महात्मा गांधी राजकीय विद्यालयों में बेसिक कम्पूयटर अनुदेशक (Basic Computer Instructor) का पद सृजित/आवंटित किया गया है। अपीलार्थी कार्मिक को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बिलोपा, ब्लॉक चौथ का बरवाडा जिला सवाईमाधोपुर में अपीलार्थी कार्मिक के मूल पद अध्यापक

लेवल–2 (हिन्दी) के पद पर पदस्थापित किया गया है। अपीलार्थी कार्मिक की योग्यता बी०ए० (हिन्दी साहित्य, राजनिति विज्ञान एवं अर्थशास्त्र), एम०ए० (राजनिति विज्ञान), बीएड० तथा आरएससीआईटी है वही निजी प्रत्यर्थी संख्या 05 की योग्यता बी०टेक० (Computer Science Engineering) है। स्पष्टया निजी प्रत्यर्थी संख्या 05 छात्र–छात्राओं को कम्प्यूटर विषय के सन्दर्भ में उचित ज्ञान प्रदान करने की योग्यता धारित करता है वहीं अपीलार्थी कार्मिक स्वंय के विषय (हिन्दी) से संबंधित ज्ञान छात्र–छात्राओं को प्रदान कर सकता है। कम्पयूटर विषय का शिक्षण करवाने हेतु निजी प्रत्यर्थी संख्या 05 अपीलार्थी कार्मिक से अधिक योग्य है। अपील के सन्दर्भ में माननीय अधिकरण के समक्ष यह भी वर्णित किया जाना उचित होगा कि राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 23.01.2023 के द्वारा महात्मा गांधी विद्यालयों हेतु कैडर विदईन कैडर (Cadre within Cadre) का निर्माण किया गया है। इन अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में विभाग में पूर्व से हिन्दी माध्यम विद्यालयों में कार्यरत कार्मिकों का साक्षात्कार/विशेष चयन परीक्षा के माध्यम से चयन किया जाकर अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में पदस्थापन किया जाता है तथा अधिसूचना दिनांक 23.01.2023 के नियम संख्या 14(6) के अनुसार इन्हें अंग्रेजी माध्यम से अन्य विद्यालयों में स्थानांतरित किया जा सकता है तथा चयन अवधि पूर्व होने अथवा अवधि पूर्ण होने से पूर्व भी पर इन चयनित कार्मिकों को पुनः अंग्रेजी माध्यम विद्यालय से आवश्यकता अनुसार पुनः हिन्दी माध्यम विद्यालयों में भी पदस्थापित किया जा सकता है। अधिसूचना दिनांक 23.01.2023 के सन्दर्भित नियमों को निम्न प्रकार परिभाषित/उल्लेखित किया गया है। स्पष्टया उक्त नियमों के अनुसरण में निजी प्रत्यर्थी संख्या 05 (बेसिक कम्पूटर अनुदेशक) को निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के निर्देशानुसार माहात्मा गांधी (अंग्रेजी माध्यम) विद्यालय में पदस्थापित किया गया है तथा स्वीकृत पद अनुसार कार्मिक कार्यरत होने की स्थिति में ही अपीलार्थी कार्मिक को अधिशेष वर्णित करते हुए अपीलार्थी के स्वीकृत पद एवं विषय के अनुसार ही अपीलार्थी कार्मिक को छात्र–हित/राज्य हित में पदस्थापित किया गया है, जिससे दोहरे पदस्थापन की स्थिति की समाप्त किया जाकर उपलब्ध मानव संसाधनों का उचित उपयोग राज्यहित में किया जा सके। अतः अपील खारिज किये जाने योग्य है।

4. हमने उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्ताओ को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

5. प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से प्रकट है कि अपीलार्थी कार्मिक का मूल पद अध्यापक–लेवल–2 (हिन्दी) है, राज्य सरकार द्वारा पूर्व में महात्मा गांधी (अंग्रेजी माध्यम) विद्यालयों में कम्पूयटर शिक्षण हेतु अस्थाई व्यवस्था के तौर पर अध्यापक संवर्ग के कार्मिकों का वॉकइन इन्टरव्यू के माध्यम से चयन कर कम्पयूटर शिक्षक के पद पर पदस्थापित किया गया था तदुपरांत राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 23.01.2023 के द्वारा The Rajasthan Civil Services (Special Selection and Special Conditions of Service for Appointment of Personnel in the English Medium Schools Rule), 2023. नियम निर्धारित किये गये, में महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय में कम्पूयटर शिक्षक अथवा कम्यूटर टीचर का कोई पद स्वीकृत नहीं किया गया अपितु उक्त नियमों के द्वारा महात्मा गांधी राजकीय विद्यालयों में बेसिक कम्पूयटर अनुदेशक (Basic Computer Instructor) का पद सृजित/आवंटित किया गया है। अपीलार्थी कार्मिक को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बिलोपा, ब्लॉक चौथ का बरवाडा जिला सवाईमाधोपुर में अपीलार्थी कार्मिक के मूल पद अध्यापक लेवल–2 (हिन्दी) के पद पर पदस्थापित किया गया है। अपीलार्थी कार्मिक की योग्यता बी.ए. (हिन्दी साहित्य, राजनिति विज्ञान एवं अर्थशास्त्र), एम.ए. (राजनिति विज्ञान), बीएड. तथा आरएससीआईटी है वही निजी प्रत्यर्थी संख्या 05 की योग्यता बी.टेक. (Computer Science Engineering) है। निजी प्रत्यर्थी संख्या 05 छात्र–छात्राओं को कम्यूटर विषय के सन्दर्भ में उचित ज्ञान प्रदान करने की योग्यता धारित करता है वहीं अपीलार्थी कार्मिक स्वंय के विषय (हिन्दी) से संबंधित ज्ञान छात्र–छात्राओं को प्रदान कर सकता है। कम्प्यूटर विषय का शिक्षण करवाने हेतु निजी प्रत्यर्थी संख्या 05 अपीलार्थी कार्मिक से अधिक योग्य है। राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 23.01.2023 के द्वारा महात्मा गांधी विद्यालयों हेतु कैडर विदईन कैडर (Cadre within Cadre) का निर्माण किया गया है। इन अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में विभाग में पूर्व से हिन्दी माध्यम विद्यालयों में कार्यरत कार्मिकों का साक्षात्कार/विशेष चयन परीक्षा के माध्यम से चयन किया जाकर अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में पदस्थापन किया जाता है तथा नियम संख्या 14(6) के अनुसार इन्हें अंग्रेजी माध्यम से अन्य विद्यालयों में स्थानांतरित किया जा सकता है तथा चयन अवधि पूर्व होने अथवा अवधि पूर्ण होने से पूर्व भी पर इन चयनित कार्मिकों को पुनः अंग्रेजी माध्यम विद्यालय से आवश्यकता अनुसार पुनः हिन्दी माध्यम विद्यालयों में भी पदस्थापित किया जा सकता है। अधिसूचना दिनांक 23.01.2023 के अनुसरण में निजी प्रत्यर्थी संख्या 05 (बेसिक कम्पूटर अनुदेशक) को निदेशक माध्यमिक शिक्षा

राजस्थान बीकानेर के निर्देशानुसार माहात्मा गांधी (अंग्रेजी माध्यम) विद्यालय में पदस्थापित किया गया है तथा स्वीकृत पद अनुसार कार्मिक कार्यरत होने की स्थिति में ही अपीलार्थी कार्मिक को अधिशेष करते हुए अपीलार्थी के स्वीकृत पद एवं विषय के अनुसार ही अपीलार्थी कार्मिक को छात्र–हित/राज्य हित में पदस्थापित किया गया है, जिससे दोहरे पदस्थापन की स्थिति की समाप्त किया जाकर उपलब्ध मानव संसाधनों का उचित उपयोग राज्यहित में किया जा सके। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश में हस्तेक्षप किये जाने का कोई विधिक आधार प्रतीत नहीं होता है।

6. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(विकास सीतारामजी भाले)
अध्यक्ष